मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः21.02.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दहेज मृत्यु कारित करने के अभियोग से सम्बन्धित 02 आरोपियों को करायी गई 07-07 वर्ष के कारावास एवं ₹ 10-10 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना मड़िहान पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दहेज मृत्यु कारित करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01 मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कारावास एवं ₹ 10-10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः11.07.2021 को थाना मड़िहान पर वादी शिवशंकर पटेल पुत्र विजय बहादुर पटेल निवासी खण्डवर दुबार थाना लालगंज जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध लिखित तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री सरिता, जिसकी शादी फरवरी-2018 में बसन्तलाल पटेल पुत्र रामलाल पटेल निवासी ददरा मुतलके रामपुर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर के साथ किया था। दहेज की मांग को पूरी करने में असमर्थता व्यक्त करने पर वादी की पुत्री सरिता को मारकर अपने घर के पीछे कुएं में फेंक दिए। उक्त के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-106/2021 धारा 498ए,304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना मड़िहान पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-डीजीसी आलोक कुमार राय, विवेचक-क्षेत्राधिकारी अजय कुमार राय, कोर्ट मुहर्रिर- मुख्य आरक्षी राजनरायन यादव तथा पैरोकार-आरक्षी मनोज कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01 मीरजापुर-बलजोर सिंह द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों 1.रामलाल पटेल पुत्र स्व0रामनाथ पटेल व 2.बसन्तलाल पटेल पुत्र रामलाल पटेल निवासीगण ददरा मुतलके रामपुर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भादवि में 07-07 वर्ष के कारावास एवं ₹ 10-10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह के अतिरिक्त सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सजायाफ्ता अभियुक्तगण —

1.रामलाल पटेल पुत्र स्व0रामनाथ पटेल निवासी ददरा मुतलके रामपुर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।
2.बसन्तलाल पटेल पुत्र रामलाल पटेल निवासी ददरा मुतलके रामपुर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।